

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,  
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी- आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं- 15ए/2017

संस्थित दिनांक- 01.02.2016

- 01:- रामसिंह पुत्र खलक सिंह जाति लोधी उम्र 48 साल,  
02:- खुशीलाल पुत्र खलक सिंह जाति लोधी आयु 43 साल दोनों  
का धंधा खेती दोनों निवासीगण ग्राम बडैराचक तहसील  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादीगण

विरुद्ध

- 01:- राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 लच्छूराम लोधी आयु 46 साल,  
02:- महाराज सिंह पुत्र स्व0 लच्छूराम लोधी आयु 49 साल,  
03:- आराम बाई पत्नी गजराज सिंह लोधी आयु 46 साल तीनों  
का धंधा खेती तीनों निवासीगण ग्राम बडैराचक तहसील  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0  
04:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश जिला अशोकनगर म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

// निर्णय //

:: आज दिनांक 26.04.2018 को पारित ::

- 01:-यह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 चंदेरी के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-50ए/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2013 को शून्य एवं निष्कर्ष प्रभावी घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।
- 02:-दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दिनौला तहसील चंदेरी स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक-216/01/12 रकबा-1.900 हैक्टेयर एवं 216/01/11 रकबा-2.000 हैक्टेयर वादीगण के अधिपत्य की भूमि होकर शासकीय भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण को कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-01 व 02 सगे भाई हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक-03 प्रतिवादी क्रमांक-01 व 02 के भाई की पत्नी है। प्रतिवादीगण ने शासकीय कर्मचारियों से दुर्भी संधि कर राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमियों पर प्रतिवादी क्रमांक-01 व 03

का नाम अंकित करा लिया है।

03:-प्रतिवादी क्रमांक-02 का उपरोक्त भूमियों से कोई संबंध था, इसके पश्चात् भी प्रतिवादी क्रमांक-02 ने उपरोक्त भूमियों में अपना 01/03 हिस्सा दर्शाकर प्रतिवादी क्रमांक-01 व 03 के विरुद्ध एक मिथ्या वाद प्रकरण क्रमांक-50ए/2013 संस्थित किया और दुर्भी संधि कर न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर ली। प्रतिवादीगण यह जानते थे, उपरोक्त भूमि शासकीय भूमि है। राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक-01 व 03 का नाम न कटे, इस कारण से प्रतिवादीगण ने न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध उपरोक्त भूमियों को शासकीय घोषित करने की सहायता चाहने बाबत् वाद प्रस्तुत किया था, इसकी जानकारी होने के बाद भी महाराज सिंह ने बिना वादीगण को पक्षकार बनाया, पूर्व में संस्थित किया था, जबकि वादीगण उपरोक्त भूमियों के आधिपत्यधारी होने से हितबद्ध पक्षकार थे।

04:-वादीगण ने प्रतिवादीगण एवं शासन के विरुद्ध व्यवहार न्यायालय वर्ग-02 चंदेरी में प्रकरण 208ए/10 संस्थित किया था, जो अनुपस्थिति में निरस्त होकर पुनः नम्बर पर लेने पर लंबित है इस तथ्य को छुपाकर वादीगण की अनुपस्थिति में उपरोक्त भूमियों के संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा अपने पक्ष में निर्णय व डिक्री प्राप्त की गई थी, जो निरस्त योग्य है। वाद कारण दिनांक-20.12.2013 को प्रकरण 50ए/2013 में पारित निर्णय दिनांक को उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात् वाद का मूल्यांकन 2,000/- रूपयें पर करके 500/- रूपये के निश्चित न्यायशुल्क के साथ यह दावा निर्णय के चरण क्रमांक-01 में वांछित सहायता प्राप्त करने बाबत् प्रस्तुत किया गया।

05:-प्रतिवादी क्रमांक-01 लगायत 03 की ओर से दावे का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम दिनौला तहसील चंदेरी स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक-216/01/12 रकबा-1.900 हैक्टेयर एवं 216/01/11 रकबा-2.000 हैक्टेयर वादीगण के आधिपत्य की कभी नहीं रही है। वादीगण की प्रतिवादीगण से रंजिश चल रही है। खुशीलाल ने प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 भांजी व बहू का बलात्कार किया था, जिसका प्रकरण खुशीलाल पर चल रहा है तथा रंजिशन यह वाद इस कारण से पेश किया गया है। वादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-01 व 03 के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित भी किया गया है। महाराज सिंह के द्वारा किये गये दावे में राजीनामों के आधार पर वैधानिक निर्णय व डिक्री न्यायालय के द्वारा पारित की गई है। प्रतिवादी क्रमांक-01 व 02 एवं प्रतिवादी क्रमांक-03 के पति गजराज सिंह सगे भाई है, जिन्होंने शामिल में भूमि क्रय की थी। महाराज सिंह को राजेन्द्र व गजराज ने अन्य भूमियों में हिस्सा दे दिया था, जिसके कारण उनके मध्य राजीनामा हो गया था। वादीगण को शासकीय भूमि निरस्त कराने के संबंध में वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। वादीगण ने कलेक्टर न्यायालय में अपील पेश की थी, जो निरस्त हो गई है तथा इस न्यायालय को स्वयं डिक्री अपास्त करने का अधिकार नहीं है। वादीगण ने रंजिशन प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से यह दावा प्रस्तुत किया है, जिसे निरस्त किये जाने की सहायता चाही।

06:—प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 चंदेरी के द्वारा व्यवहार प्रकरण क्रमांक 50ए/2013 में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2013 वादीगण पर बंधनकारी नहीं है ?	प्रमाणित नहीं।
2.	सहायता एवं वाद व्यय ?	निर्णय की कंडिका 22 अनुसान प्रदान की गई।

—:सकारण निष्कर्ष:—

वाद प्रश्न क्रमांक-01 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

07:—वादीगण के अभिवचनों के आधार पर निर्मित होने के कारण उपरोक्त वाद प्रश्नों को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण की ओर से अपने समर्थन में वादी खुशीलाल (वा0सा0-1) के कथन न्यायालय में कराये हैं। खुशीलाल (वा0सा0-1) का अपने अभिवचनों के समर्थन में अपने सशपथ कथनों में कहना है कि ग्राम दिलौना स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-216/01/12 रकबा-1.900 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक-216/01/11 रकबा-2.000 हैक्टेयर उनके अधिपत्य की भूमियां हैं जिनसे प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है।

08:— खुशीलाल (वा0सा0-1) के अनुसार उपरोक्त भूमियों का व्यवस्थापन भमरा व जुल्ला को हुआ था तथा उपरोक्त व्यवस्थापन अपर आयुक्त ग्वालियर के द्वारा निरस्त भी कर दिया था, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने उसका इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में न करते हुये उपरोक्त विवादित भूमियां शासकीय अंकित नहीं की जिसका लाभ उठाकर प्रतिवादी राजेन्द्र व आराम बाई ने अपर सत्र न्यायालय मुंगावली में प्रकरण के प्रचलित रहते फर्जी विक्रयपत्र सम्पादित करा लिया। खुशीलाल (वा0सा0-1) के अनुसार महाराज सिंह और राजेन्द्र आपस में सगे भाई हैं। उन्होंने आराम बाई के साथ मिलकर धुर्भी संधि पर व्यवहार वाद क्रमांक-50ए/2013 में बिना उन्हें पक्षकार बनाये निर्णय और डिक्री पारित करा लीं, जबकि महाराज सिंह का इन भूमियों से कोई संबंध नहीं था। खुशीलाल के अनुसार प्रतिवादीगण का विवादित भूमियों से कोई संबंध नहीं है, मात्र भूमियां हड़पने के उद्देश्य से न्यायालय को भ्रमित करते हुये उन्होंने अपने पक्ष में डिक्री पारित करा ली है, जो निरस्ती योग्य है।

- 09:— प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में मात्र राजेन्द्र सिंह (प्र0सा0—1) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। राजेन्द्र सिंह (प्र0सा0—1) का अपने सशपथ कथनों में कहना है कि ग्राम दिलौना स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—216/01/12 रकबा—1.900 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक—216/01/11 रकबा 2.000 हैक्टेयर भूमि उसके और उसकी भाभी आराम बाई के स्वत्व और अधिपत्य की भूमि है, जो उन्होंने पंजीकृत विक्रयपत्र से प्राप्त की है, जिन पर उनका नाम अंकित होकर कब्जा है। राजेन्द्र सिंह (प्र0सा0—1) के अनुसार इस भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है तथा इस भूमि के संबंध में उसका विवाद भाई महाराज सिंह ने न्यायालय में चला था, जिसमें राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में राजीनामों के आधार पर फैसला हो गया था। वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिये शासन एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—01 के न्यायालय में दावा भी पेश किया था, जो दिनांक—26.08.2017 को निरस्त कर दिया गया था।
- 10:— वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि ग्राम दिलौना स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक—216/01/12 रकबा—1.900 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक—216/01/11 रकबा 2.000 हैक्टेयर का व्यवस्थापन पूर्व में भमरा व जुल्ला के नाम पर हुआ था, इस संबंध में विवाद की स्थिति नहीं है। खुशीलाल (वा0सा0—1) ने अपने सशपथ कथनों में स्वयं यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त विवादित भूमि का व्यवस्थापन भमरा व जुल्ला के नाम हुआ था, वहीं प्रतिवादी राजेन्द्र (प्र0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि उपरोक्त भूमि उन्होंने भमरा व जुल्ला से क्रय की थी तथा जमीन क्रय करने के समय भमरा व जुल्ला ही उस पर काबिज थे।
- 11:— अतः ग्राम दिलौना स्थित विवादित भूमि पूर्व में भमरा व जुल्ला के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहीं तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा उक्त भूमि पर भमरा व जुल्ला का व्यवस्थापन किया गया, यह भी प्रकरण में विवादित नहीं है तथा साथ ही यह भी विवादित नहीं है कि राजेन्द्र व आरामबाई के द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई थीं। वादी खुशीलाल (वा0सा0—1) के द्वारा इस संबंध में न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग के आदेश दिनांक—08.05.2006 की आदेश की सत्यप्रतिलिपि से होती है।
- 12:— खुशीलाल (वा0सा0—1) का कहना है कि विवादित भूमियों से महाराज सिंह का कोई संबंध न होने के बाद भी महाराज सिंह ने इन्हीं भूमियों के संबंध में राजेन्द्र व आराम बाई से धुर्भी सन्धि का व्यवहार वाद क्रमांक—50ए/2013 बिना वादीगण को पक्षकारा बनाये प्रस्तुत किया और उनमें राजीनामा करके अपने पक्ष में निर्णय व डिक्री न्यायालय को गुमराह करके पारित करा ली, इस संबंध में वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—50ए/2013 में पारित निर्णय व डिक्री सहित दावा, जबाव दाव प्रस्तुत राजीनामा आवेदन, शपथ पत्र व महाराज सिंह, राजेन्द्र सिंह एवं आराम बाई के राजीनामा कथनों की सत्यप्रतिलिपि सहित

उपरोक्त विवादित भूमि के संबंध में खसरा सम्बत्-2006-07 की सत्यप्रतिलिपि कमशः प्रदर्श पी-02 लगायत 11 प्रकरण में प्रस्तुत की गई।

- 13:- अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि इन्ही भूमियों के संबंध में महाराज सिंह ने राजेन्द्र व आरामबाई के विरुद्ध व्यवहार वाद क्रमांक-50ए/13 संस्थित किया था, जिसमें उनके मध्य हुये राजीनामों के आधार पर न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित किये थे। प्रतिवादी राजेन्द्र (प्र0सा0-1) ने वादीगण के उपरोक्त अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को कोई चुनौती नहीं दी है। राजेन्द्र (प्र0सा0-1) ने अपने अभिवचनों में एवं अपने सशपथ कथनों में महाराज सिंह के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-50ए/13 उनके विरुद्ध संस्थित करना तथा उसमें राजीनामों के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित होना स्वीकार किया है। अतः दोनों पक्षों के मध्य इस संबंध में भी विवाद की स्थिति नहीं है कि महाराज सिंह ने राजेन्द्र व आराम बाई के विरुद्ध ग्राम दिनौला भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद-50ए/13 प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित हुये।
- 14:- वादीगण के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-50ए/13 में पारित निर्णय प्रदर्श पी-02 एवं डिक्री प्रदर्श पी-03 को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उक्त प्रकरण में वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य था। वादीगण की ओर से उपरोक्त निर्णय व डिक्री को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी, कि जिन भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद क्रमांक-50ए/13 में निर्णय प्रदर्श पी-02 व डिक्री प्रदर्श पी-03 पारित किये गये उक्त भूमि शासकीय भूमि थी तथा संभाग आयुक्त ग्वालियर के आदेश प्रदर्श पी-01 के द्वारा उक्त भूमि के संबंध में भमरा और जुल्ला का व्यवस्थापन निरस्त हो जाने के बाद क्रेतागण राजेन्द्र (प्र0सा0-1) व आराम बाई को कोई अधिकार शेष नहीं बचते हैं।
- 15:- यह उल्लेखनीय है कि वादीगण के द्वारा विवादित भूमि को शासकीय भूमि बताकर उसमें अपना हित उक्त भूमियों पर अपना आधिपत्य होने के आधार पर बताया गया है, परन्तु विवादित भूमि स्थिति ग्राम दिनौला सर्वे क्रमांक-216/01/12 रकबा-1.900 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक-216/01/11 रकबा-2.000 हैक्टेयर पर वादीगण का व्यवहार वाद क्रमांक-50ए/13 दायर करने से पूर्व व पश्चात् कभी भी अधिपत्य रहा है, यह साबित करने के लिये वादीगण की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। विवादित भूमि पर अपना अधिपत्य होने के आधार पर वादीगण उक्त भूमि में अपना हित होना बता रहे हैं, परन्तु उक्त भूमि पर अपना अधिपत्य साबित करने के लिये उनके पास अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जबकि इसके विपरीत इन्ही भूमियों के संबंध में इन्ही पक्षकारों के मध्य संस्थित व्यवहार वाद-04ए/17 में पारित निर्णय दिनांक-26.08.2017 के द्वारा राजेन्द्र व आराम बाई का विवादित भूमियों पर आधिपत्य प्रमाणित मानते हुये उनके पक्ष में एवं इस प्रकरण में वादीगण व अन्य के विरुद्ध

उपरोक्त भूमियों पर हस्तक्षेप को स्थाई रूप से निषेधित किये हेतु निर्णय व डिक्री पारित की गई, जो कि वादीगण रामसिंह व खुशीलाल पर बंधनकारी है।

16:— खुशीलाल (वा0सा0—1) अनुसार विवादित भूमि शासकीय भूमि हैं, जिस पर भमरा व जुल्ला का व्यवस्थापन सम्भाग आयुक्त के आदेश प्रदर्श पी—01 से निरस्त किया गया, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि भमरा व जुल्ला के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी किये गये व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर न्यायालय में वादीगण के द्वारा की गई अपील अपर कलेक्टर न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। सर्व प्रथम तो विवादित भूमि शासकीय भूमि है, यह साबित करने के वादीगण की ओर से अभिलेख पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी—01 के आदेश से इस बात की पुष्टि होती है कि विवादित भूमियों का पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के द्वारा भमरा व जुल्ला के नाम पर व्यवस्थापन करने का आदेश भी पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में वादी खुशीलाल व रामसिंह के द्वारा अपील भी प्रस्तुत की गई है।

17:— यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से दावे का मुख्य आधार संभाग आयुक्त आदेश प्रदर्श पी—01 है जो कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा भमरा व जुल्ला के पक्ष में विवादित भूमियों के किये गये व्यवस्थापन के विरुद्ध दायर की गई अपील को ग्राह्य किये जाने को चुनौती देते हुये स्वयं भमरा व जुल्ला के द्वारा आयुक्त ग्वालियर सम्भाग में निगरानी प्रकरण 47/निगरानी/2004—05 प्रस्तुत किया गया था। उक्त निगरानी प्रकरण में मुख्य रूप से भमरा व जुल्ला के द्वारा उनके पक्ष में हुये व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर अशोकनगर के द्वारा अपील ग्राह्य किये जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें यह निर्धारित होना था, कि वास्तव में अपर कलेक्टर के द्वारा खुशीलाल व रामसिंह के द्वारा की गई अपील विधिवत् ग्राह्य की गई अथवा नहीं, परन्तु सीमित बिन्दुओं पर निगरानी प्रकरण में आदेश किये जाने की अपेक्षा अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में अपील लंबित रहते हुये, संभाग आयुक्त ने प्रदर्श पी—01 के आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित किये गये व्यवस्थापन आदेश को ही अवैधानिक करार दे दिया, जो कि उक्त निगरानी प्रकरण में विचार किये जाने योग्य बिन्दु नहीं था, क्योंकि उक्त बिन्दु तो अपर कलेक्टर न्यायालय में लंबित अपील में निर्धारित किया जाना था।

18:— अतः सम्भाग आयुक्त ग्वालियर के द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक प्रदर्श पी—01 पारित करते समय दिया गया निष्कर्ष की गई निगरानी से परे जाकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिया गया निष्कर्ष हैं, जिसका कोई विधिक मूल्य नहीं हैं। प्रदर्श पी—01 के आदेश के अलावा अपर कलेक्टर न्यायालय में की गई अपील के संबंध में प्रतिवादीगण का यह स्पष्ट कहना है कि उक्त अपील जो वादीगण के द्वारा दायर की गई वह निरस्त कर दी गई हैं। अतः अनुविभागीय अधिकारी के व्यवस्थापन आदेश को यथावत् रखा गया है, परन्तु इस तथ्य को वादीगण की ओर से न तो चुनौती दी गई है और ही

उनके द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में दायर की गई अपील का निष्कर्ष ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में विवादित भूमि प्रतिवादी राजेन्द्र व आराम बाई का नाम राजस्व अभिलेखों से काटकर प्रदर्श पी-01 के आदेश के अनुसार या व्यवस्थापन आदेश के विरुद्ध दायर की गई अपील में दिये गये अंतिम निष्कर्ष के आधार पर काटकर उक्त भूमि को शासकीय भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिया है इस आशय की वादीगण की ओर से न तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और न ही ऐसे कोई अभिवचन प्रस्तुत किये गये हैं।

19:— राजेन्द्र व आराम बाई के द्वारा विवादित भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से भमरा व जुल्ला से क्रय की गई भूमियां हैं, यह प्रकरण में विवादित नहीं है। उक्त भूमियों पर भमरा व जुल्ला का व्यवस्थापन भी स्वीकार हुआ है तथा व्यवस्थापन को निरस्त कर दिया गया तथा भूमियां शासकीय भूमियां थीं एवं उक्त भूमियों पर वादीगण का आधिपत्य था, यह साबित करने के लिये वादीगण की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। व्यवहार न्यायालय से ही वादीगण का विवादित भूमियों पर आधिपत्य न पाते हुये उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप करने से उन्हें प्रदर्श डी-01 व डी-02 के आदेश के द्वारा निषेधित भी किया गया।

20:— अतः विवादित भूमियों में वादीगण का कोई वैधानिक हित प्रमाणित नहीं है, जिससे उन्हें विवादित भूमियों के संबंध में दावा दायर करने की कोई Lous-Standi नहीं है। अभिलेख पर इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि जो कि विवादित भूमियों को शासकीय भूमि साबित करती हो एवं व्यवहार प्रकरण क्रमांक-50ए/13 में पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामा एवं उक्त आधार पर पारित किये गये निर्णय व डिक्री को छलपूर्वक प्राप्त किया जाना प्रमाणित करता हो।

21:— अभिलेख पर वादीगण की ओर से इस आशय की भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जो यह दर्शित करती हो कि व्यवहार वाद क्रमांक-50ए/13 में महाराज सिंह एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये गये राजीनामे एवं उक्त राजीनामे के आधार पर पारित किये गये निर्णय व डिक्री से वादीगण के साथ कोई छल या कपट किया गया या उक्त राजीनामा विधिक नहीं था। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 चंदेरी के द्वारा व्यवहार प्रकरण क्रमांक-50ए/2013 में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक-20.12.2013 उस प्रकरण के पक्षकारों एवं वादीगण पर पूरी तरह से बंधनकारी है। **अतः वाद प्रश्न क्रमांक-01 प्रमाणित न होने से उसका निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

#### **वाद प्रश्न क्रमांक-02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—**

##### **सहायता एवं वाद व्यय**

22:— वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा

निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

- 01:- यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।
- 02:- वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 03:- अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री की रचना की जावे।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित  
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित  
किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.